24220

संख्याः /सात लाई०एस०–42/ व्यव०/2024–25/सा०निर्देश/विज्ञप्ति

प्रेषक,

आबकारी आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

देहरादून, दिनांकः फरवरी, 21, 2024

विषयः–वर्ष 2024–25 (दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक) की अवधि हेतु एफ०एल०–2, सी०एल०–2 एवं एफ०एल०–2(ओ) के सम्बन्ध में सामान्य निर्देश।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक उत्तराखण्ड आबकारी नीति विषयक नियमावली, 2024 जो कि शासन की अधिसूचना संख्याः 148(1)/XXIII-1/2024-04(01)/2024 दिनांक 21 फरवरी 2024 के अनुसार राज्य में वित्तीय वर्ष 2024–25 (दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक) हेतु सी०एल०–2 एवं एफ०एल०–2 का अनुज्ञापन निर्गत किया जाना है। अनुज्ञापन के सम्बन्ध में निम्नानुसार सामान्य निर्देश जारी किये जाते हैः–

1. किसी भी आवेदक द्वारा एफ०एल०–2 गोदाम हेतु प्रदेश में किसी भी जनपद में आवेदन किया जा सकता है किन्तु प्रतिबंध यह है कि किसी भी आवेदक को प्रदेश में मात्र एक एफ०एल०–2 अनुज्ञापन निर्गत किया जाएगा।
2. सी०एल०–2 अनुज्ञापन हेतु एक आसवनी एक जनपद एक आवेदक के सिद्धांत के अनुसार प्रदेश की आसवनियाँ किसी जनपद में सी०एल०–2 अनुज्ञापन हेतु किसी एक अर्ह व्यक्ति को सी०एल०–2 संचालन हेतु अधिकार पत्र दे सकेगी किन्तु प्रतिबंध यह है कि किसी भी आवेदक को प्रदेश में मात्र एक सी०एल०–2 अनुज्ञापन निर्गत किया जाएगा।
3. थोक मदिरा अनुज्ञापन एफ०एल०–2 हेतु आवेदन पत्र (प्रारूप 1) का मय शपथपत्र (प्रारूप 2) कार्यालय आबकारी आयुक्त/ऑनलाइन पोर्टल पर इच्छुक अर्ह आवेदक वांछित दस्तावेज यथा हैसियत प्रमाण पत्र/धारित सम्पत्ति प्रमाण पत्र जो कि अनुज्ञापन शुल्क के बराबर की धनराशि अनिवार्य होगी, आवेदक वांछित हैसियत प्रमाण पत्र के एवज के इसी धनराशि के बराबर एफ०डी०आर० संलग्न कर सकेंगे।
4. उत्तराखण्ड राज्य का कोई भी स्थायी/मूल निवासी FL–2 थोक अनुज्ञापन हेतु आवेदन कर सकेगा जिसके लिए प्रति आवेदन 50 हजार रुपये प्रोसेसिंग फीस 0039 शीर्षक के अन्य प्राप्तियों में ऑनलाइन जमा करायें जा सकेंगे या बैंक ड्राफ्ट जो कि आबकारी आयुक्त उत्तराखण्ड के पक्ष मे देय हो जमा करायें जा सकेंगे। यह प्रोसेसिंग फीस नॉन–रिफंडेबल होगी, प्रोसेसिंग फीस एवं समस्त प्रपत्रों को जमा करने के उपरांत ही आवेदन पूर्ण माना जाएगा।
5. थोक मदिरा अनुज्ञापन सी०एल०–2 हेतु आवेदन पत्र (प्रारूप 3) मय शपथपत्र (प्रारूप 4) कार्यालय आबकारी आयुक्त/ऑनलाइन पोर्टल पर इच्छुक अर्ह आवेदक वांछित दस्तावेज यथा हैसियत प्रमाण पत्र/धारित सम्पत्ति प्रमाण पत्र जो कि अनुज्ञापन शुल्क

का 15% अनिवार्य होगी, आवेदक वांछित हैसियत प्रमाण पत्र के एवज के इसी धनराशि के बराबर एफ०डी०आर० संलग्न कर सकेंगे।

6. प्रत्येक एफ०एल०–2 अनुज्ञापन की प्रतिभूति एक लाख रूपये की एफ०डी०आर० के रूप में जमा करनी होगी, जो कि सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी / लाईसेंस प्राधिकारी के नाम प्रतिश्रुत होगी।
7. एफ०एल०–2 / सी०एल०–2 के अनुज्ञापन की स्वीकृति के पश्चात आवेदक, आवेदन पत्र सहित समस्त दस्तावेजों की सत्यापित छायाप्रति के साथ अनुज्ञापन स्वीकृति के आदेश की मूलप्रति के साथ एफ०एल०–2 / सी०एल०–2 गोदाम परिसर की चौहद्दी एवं जियो लोकेशन को संबंधित जनपद के कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी में प्रस्तुत करेगा तद्पश्चात आबकारी निरीक्षक एवं जिला आबकारी अधिकारी द्वारा मौका मुवायना करने के उपरांत लाइसेंस प्राधिकारी / जिला अधिकारी से नियमानुसार लाइसेंस जारी किए जाने हेतु अग्रेत्तर कार्यवाही की जाएगी तथा अनुज्ञापन स्वीकृति के पश्चात अनुज्ञापन शुल्क जमा किया जाएगा।
8. एफ०एल०–2 / सी०एल०–2 के गोदाम का परिसर आसवनी / बॉटलिंग ईकाई के परिसर के अंदर एवं सन्निकट नहीं होगा।
9. उत्तराखण्ड राज्य का कोई भी स्थायी / मूल निवासी एफ०एल०–2 थोक अनुज्ञापन हेतु आवेदन कर सकेगा जिसके लिए प्रति आवेदन 50 हजार रुपये प्रोसेसिंग फीस 0039 शीर्षक के अन्य प्राप्तियों में ऑनलाइन जमा करायें जा सकेंगे या बैंक ड्राफ्ट जो कि आबकारी आयुक्त उत्तराखण्ड के पक्ष मे देय हो जमा करायें जा सकेंगे। यह प्रोसेसिंग फीस नॉन–रिफंडेबल होगी, प्रोसेसिंग फीस एवं समस्त प्रपत्रों को जमा करने के उपरांत ही आवेदन पूर्ण माना जाएगा।
10. समुद्र पार से आयातित विदेशी मदिरा के उत्पादों की थोक बिक्री भारत के बाहर के विदेशी मदिरा निर्माता अथवा उनके अधिकृत विक्रेता या ऐसी इकाई जिसको सम्बन्धित ब्रान्ड के भारत में विक्रय करने के विधिक अधिकार (Legal Rights) प्राप्त है, उत्तराखण्ड राज्य में विदेशी मदिरा / बीयर / वाईन / स्कॉच / आर0टी0डी0 इत्यादि के ब्राण्ड्स FL–2(O) के माध्यम से उत्तराखण्ड में बिक्री कर सकेंगे। FL–2(O) अनुज्ञापन निर्गत किए जाने का विस्तृत प्राविधान आबकारी नीति विषयक नियमावली में उल्लिखित है। FL–2(O) अनुज्ञापन के लिए आवेदन एवं अनुज्ञापन हेतु स्वीकृति आबकारी आयुक्त उत्तराखण्ड द्वारा दी जाएगी।
11. एफ०एल०–2 / सी०एल०–2 / एफ०एल०–2(O) के अनुज्ञापन के सम्बन्ध में कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड, गांधी रोड़, तहसील चौक, देहरादून से यथावश्यक निर्देश / सूचनायें / जानकारियां प्राप्त की जा सकती है। सम्पर्क अधिकारी श्री प्रभाशंकर मिश्रा, उप आबकारी आयुक्त दूरभाष संख्या: 9997868925 रहेंगे।

<u>एफ०एल०–2 / सी०एल०–2 / एफ०एल०–2(O) के अनुज्ञापन हेतु समय सारणी निम्नवत है–</u>

क्रमांक	विवरण	दिनांक
1.	एफ०एल०–2 / सी०एल०–2 / एफ०एल०–2(O) अनुज्ञापन हेतु आवेदन किए जाने की तिथि	02.03.2024
2.	एफ०एल०–2(O) अनुज्ञापन हेतु आबकारी आयुक्त द्वारा स्वीकृति प्रदान किए जाने की अंतिम तिथि	05.03.2024
3.	एफ०एल०–2 / सी०एल०–2 अनुज्ञापन हेतु आबकारी आयुक्त द्वारा स्वीकृति प्रदान किए जाने की अंतिम तिथि	11.03.2024
4.	जनपद स्तर पर लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा एफ०एल०–2 / सी०एल०–2 अनुज्ञापन जारी किए जाने की अंतिम तिथि	15.03.2024
5.	मदिरा निर्माता ईकाई / बॉण्ड अनुज्ञापन धारकों द्वारा ई०डी०पी० प्रेषित किए जाने की अंतिम तिथि	05.03.2024
6.	देशी / विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन, आर०टी०डी० आदि के ब्राण्ड लेबल अनुमोदन हेतु आवेदन की अंतिम तिथि	05.03.2024

नोटः–

1. यदि किसी कारणवश उपरोक्त किसी निर्धारित तिथि को सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया जाता है या पूर्व घोषित सार्वजनिक अवकाश रहता है, तो उसके बावजूद संबंधित तिथि के लिये निर्धारित कार्य यथावत संपादित किये जायेंगे।
2. उपरोक्त विवरण तथा वर्ष 2024–25 की आबकारी नीति की अधिसूचना विभागीय पोर्टल http://uttrakhandexcise.org.in/ पर देखा जा सकता है।

उपरोक्त के अतिरिक्त अधिसूचना संख्याः 148(1)/XXIII-1/2024-04(01)/2024 दिनांक 21 फरवरी 2024 का गहनता से परिशीलन करके समस्त प्राविधानों का पालन किया जाना अपेक्षित है। आशा है कि आपके कुशल नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में एफ०एल०–2 / सी०एल०–2 अनुज्ञापन सम्बन्धी समस्त कार्यवाही पूर्ण निष्पक्षता एवं पारदर्शिता के साथ निर्धारित समय सीमा में उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराते हुए सम्पन्न होगी व प्रदेश आबकारी राजस्व हित में निर्धारित आबकारी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकेगा।

अतः अनुरोध है कि शासन की आबकारी नीति विषयक नियमावली, 2024 (दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक) को सफल बनाने हेतु अपने नेतृत्व में एफ०एल०–2 / सी०एल०–2 अनुज्ञापन सफलतापूर्वक निर्धारित समय के अन्तर्गत सम्पादित कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार।

(हरिचन्द्र सेमवाल)
आबकारी आयुक्त
उत्तराखण्ड।

24221—24225

संख्याः /सात लाई०एस०–42/व्यव०/2024–25/सा०निर्देश/विज्ञप्ति देहरादून,तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, आबकारी विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त अपर/संयुक्त/उप आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड।
3. सहायक आबकारी आयुक्त, आई0टी0 अनुभाग, मुख्यालय को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को विभागीय बेबसाईट **www.uttarakhandexcise.org.in** पर आज ही अपलोड करना सुनिश्चित करें।
4. समस्त जिला आबकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक **NIC,** उत्तराखण्ड को इस आशय के साथ प्रेषित की संबंधित जनपद की राजस्व सूची, सामान्य निर्देश एवं व्यवस्थापन की समय सारणी को **www.uk.gov.in** पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

(हरिचन्द्र सेमवाल)
आबकारी आयुक्त
उत्तराखण्ड